न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी— सीमा कुमारी (आर0जे0एस0)

परिवादी — रामपत

प्रकरण संख्या— 342 / 2022

सी.एन.आर. नं. — RJJH070019452022

प्र.सू.रिपोर्ट संख्या — 191 / 2021, थाना खेतड़ीनगर

धारा — 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.संहिता

दिनांक 16.03.2026

परिवादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। हस्तगत प्रकरण दिनांक 11.11.2022 से लंबित है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी प्रथम बार दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय में उपस्थित आया तथा नाराजगी याचिका पेश करनी चाही। बार—बार अवसर दिए जाने के बावजूद परिवादी की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के खण्डन में कोई नाराजगी याचिका पेश नहीं की गई है।

पत्रावली पर पेश अनुसंधान निष्कर्ष के मुताबिक हस्तगत प्रकरण में मामला बाद अनुसंधान **"अदम वकू झूठ"** का पाया गया। यह न्यायालय पत्रावली पर पेश साक्ष्य के मद्देनजर अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्ष से विमत होने का कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को ''अदम वकू झूठ'' में स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल केस डायरी संबंधित थाने को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

(सीमा कुमारी)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

खेतड़ी जिला झुन्झुनूं